

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्रस्ताव 24क
(नियम 85ख देखिए)

यदि प्रत्येक आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनैतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाता चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आय कर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

1. राजनैतिक दल का नाम **आप सबकी अपनी पार्टी (आसपा)**

2. राजनैतिक दल की प्रांतिस्थिति (आमन्यताप्राप्त/ अमान्यताप्राप्त) : **अमान्यताप्राप्त**

3. राजनैतिक दल के मुख्यालय का पता **विनापका हार्डट मैनरोड तारकदार विलासपुर क्षेत्रीय**

4. निर्वाचन आयोग के पास राजनैतिक दल के सांख्यिकीकरण की तारीख **पंजी क्र. 56/139/2015-16 पी.पी.एच.1**

5. स्वयं याता स. (पैन) और यह आय कर वाई/ **दिनांक 28-7-2016**

संकेत नंबर राजनैतिक दल की विवरणी फाइल **पैन नं. AA EAA 90 88 R**

की जानी है.....
6. वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रुपए से अधिक है और

क्रम सं.	अभिदात्री व्यक्ति/ कंपनी का नाम और पूरा पता	पैन (यदि कोई हो) और आय-कर वाई / संकेत	अभिदाय की रकम	अभिदाय की शीता (बैंक/ मागकेष ड्राफ्ट/ नकद)	दिनांक
0	nil	-	-	-	-

* यदि मागकेष ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर बैंक/ मागकेष ड्राफ्ट किया गया है।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकतम रकम का अनुपालन किया गया है (कंपनी से अभिप्राय इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रती संलग्न की जानी चाहिए)।
सत्यापन

..... (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/ पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता है।

13. मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्रस्ताव में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है।
मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं, उमर नामित राजनैतिक दल की ओर से की अपनी हस्तक्षेप से इस प्रस्ताव को सत्यापित कर रहा हूँ और मैं ऐसा करने के लिए सहमत भी हूँ।

तारीख **20/11/2022**
स्थान

(संविदा/ प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और)

राजेश खेठ
राष्ट्रीय अध्यक्ष
आप सबकी अपनी पार्टी
राजेश खेठ
Rajesh